10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES
Rs.10 INDIA

(61)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. .... अपील/ 2012-13 कोहेफिजा R- 2311- PBR/13

श्री एस०के० श्रीवास्तव एडवोकेट ग्वालियर

(1) जैनुद्दीन शाह सचिव सैफिया ऐजुकेशन सोसायटी, अहमदाबाद पैलेस, भोपाल।

.... आवेदक

बनाम

(1) मो. शफीक आ. मोहम्मद अब्दुल रहीम
(2) मो. शकील आ. मोहम्मद शफीक
(3) नवीन नवयुवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा मो. शफीक आ. अब्दुल रहीम तीनो निवासी- शफीक विला, निकट सूफिया मस्जिद, अहमदाबाद पैलेस भोपाल।
(4) एस.एच. खान आ. एच. क्यू. खान, निवासी- 1, साहिल अहमदाबाद, कोहेफिजा भोपाल।
(5) श्रीमती शर्मीला टेगौर पत्नि स्व. श्री नवाब मंसूर अली खॉ पटौदी।
(6) सैफ अली खान पुत्र स्व. श्री नवाब मंसूर अली खॉ पटौदी।
(7) सौहा अली खान पुत्री स्व. श्री नवाब मंसूर अली खॉ पटौदी।
(8) सबहा अली पुत्री स्व. नवाब मंसूर अली खॉ पटौदी, सभी निवासी- बी-2/10, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
(9) श्रीमती सालेहा सुल्तान पत्नि नबाव बशीर यार जंग पुत्री नबाव साजिदा सुल्तान, निवासी- विलायत मंजिल, बेगम पेट, हैदराबाद (अ.प्र.)
(10) श्रीमती बेगम साबिहा सुल्तान पत्नि मीर अरजुमन्द अली खान, निवासी- "साज" रोड नं. 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (अ.प्र.)

.... उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के तहत

मानननीय महोदय

विनम्र निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पर ग्राम कोहेफिजा स्थित भूमि खसरा नं. 52 पर उत्तरदातागण के नाम अवैध रूप से किये गये नामांतरण की जॉच एवं कार्यवाही बावत् कलेक्टर महोदय द्वारा अ.वि.अ. बैरागढ़ को निर्देश दिये। जिसके पालन में तहसीलदार से जॉच कराकर बिना परीक्षण के कलेक्टर महोदय को अवलोकन एवं विचार हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय ने बिना पक्षकारों को सुने प्रतिवेदन अनुसार जॉच को नस्तीबद्ध करने के आदेश प्र.क्र. 235-बी-121/2012-13 में दिनांक 26.03.2013 को पारित कर दिये जिससे पीड़ित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2311-पीबीआर/2013 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	